

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २९ सन् २०२२

### मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२२ है। संक्षिप्त नाम.
२. मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५२ (क्रमांक १७ सन् १९५२) (जो इसमें इसके पश्चात् धारा २ का संशोधन मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा २ में—

(एक) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्—

“(क क) “नगरपालिक क्षेत्र” का वही अर्थ होगा, जो उसके लिए मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा ५ के खण्ड (३४-क) में तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३ के खण्ड (१८-क) में समनुदेशित किया गया है;

(क ख) “अन्य क्षेत्र” से अभिप्रेत तथा उसमें सम्मिलित हैं, छावनी बोर्ड की अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्र के सिवाय, नगरपालिक क्षेत्र के बाहर का कोई क्षेत्र;”;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द “समुद्र” के स्थान पर, शब्द “जल” स्थापित किया जाए.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्—

“४. इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञापियां प्रदान करने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है) नगरपालिक निगम की सीमाओं के भीतर नगरपालिक क्षेत्र के लिए आयुक्त होगा तथा नगरपालिका परिषद्, नगर पालिका की सीमाओं के भीतर आने वाले नगरपालिक क्षेत्रों के लिए और अन्य क्षेत्रों के लिए जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कोई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होगा, जो उप-खण्ड मजिस्ट्रेट की श्रेणी से नीचे का न हो :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए ऐसा अन्य प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी होने के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे.”.

४. मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्—

“७. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या शर्तों और निबंधनों, जिनके अध्यधीन कोई अनुज्ञापि इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई है, के उल्लंघन में, यदि चलचित्र का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति उसका उपयोग करता है या उसका उपयोग करने की अनुमति देता है, या यदि किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी उस स्थान के उपयोग करने की अनुमति देता है, तो वह जुमनि से, जो पचास हजार रुपए से अधिक का नहीं होगा और निरन्तर अपराध की दशा में, उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराध जारी रहता है, अतिरिक्त जुमनि से जो पांच हजार रुपए से अधिक का नहीं होगा, दण्डनीय होगा.”.

धारा ४ का स्थापन.  
अनुज्ञापन प्राधिकारी.

धारा ७ का स्थापन.  
शास्त्रियां.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश में सिनेमा विनियमन का विषय, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग से नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अंतरित किया गया है। इस संशोधन के परिणामस्वरूप सिनेमा की अनुज्ञापि प्रदान करने की शक्ति नगरीय स्थानीय निकायों में निहित होगी। इन संशोधनों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५२ (क्रमांक १७ सन् १९५२) में यथोचित संशोधन अपेक्षित हैं।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख १९ दिसम्बर, २०२२.

**भूपेन्द्र सिंह**  
भारसाधक सदस्य

## प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

खण्ड-३ द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ३ द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु ऐसे अधिकारी की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना  
— जारी किए जाने की शक्तियां राज्य सरकार को प्रदान की जा रही हैं, जो सामान्य स्वरूप की होंगी।

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

### उपाबंध

**मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५२ (क्रमांक १७ सन् १९५२) से उद्धरण**

\* \* \* \*

**धारा २-**इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो.

- (क) “चलचित्र” में सम्मिलित है, चित्रों की शृंखला अथवा चलचित्रों के पुनः प्रस्तुतीकरण का कोई भी उपकरण,
- (ख) “स्थान” में सम्मिलित है, गृह, भवन, तम्बू तथा स्थान चाहे समुद्र, भूमि अथवा वायु द्वारा हो, यातायात का कोई भी साधन,
- (ग) “विहित” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों द्वारा विहित.

\* \* \* \*

**धारा ४-**इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्रदान करने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी (इसके पश्चात् “लाइसेंसिंग प्राधिकारी”) जिला दण्डाधिकारी होगा। परन्तु राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, संपूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए, इन अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में किसी अन्य प्राधिकारी को लाइसेंसिंग प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

\* \* \* \*

**धारा ७-**इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों अथवा जिन पर या जिनके अध्यधीन कि इस अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया है, उन शर्तों तथा प्रतिबन्धों के प्रतिकूल यदि चलचित्र का स्वामी अथवा उसका प्रभारी व्यक्ति प्रयोग करता है, अथवा उसका प्रयुक्त होना स्वीकार करता है अथवा किसी स्थान या अधिभागी कब्जेदार उस स्थान का प्रयोग करने की अनुमति देता है तो वह एक हजार रुपये तक के अर्थदण्ड से तथा निरन्तर अपराध की दशा में ऐसे अतिरिक्त अर्थदण्ड से जो उस प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराध जारी रहता है 100 रुपये तक दण्ड देय होगा।

\* \* \* \*

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा।